संख्या-152/2023/3075/22-2-2022-17(1327)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार शर्मा पुत्र श्री डालचन्द शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-27981/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-04.08.2022) दिनांक-31.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार शर्मा पुत्र श्री डालचन्द शर्मा, ग्राम-खालौर,थाना-जहांगीराबाद,जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। वादिनी के पति के दोस्त बन्दी राजकुमार ने दिनांक 29.11.2004 को वादिनी की पुत्री 07 वर्षीय बालिका को रासलीला दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-302/2005 धारा-376(2)(एफ) आई0पी0सी0 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 06.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2022 तक 17 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 20.01.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रवृत्ति का होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों में विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिनी के पति के दोस्त बन्दी राजकुमार ने दिनांक 29.11.2004 को वादिनी की पुत्री 07 वर्षीय बालिका को रासलीला दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रवृति का होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजकुमार शर्मा पुत्र श्री डालचन्द शर्मा जनपद-बुलन्दशहर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार शर्मा (बन्दी संख्या-16911) पुत्र श्री डालचन्द शर्मा, जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म/ए-लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-152/2023/3075(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-152/2023/3075/22-2-2022-17(1327)/2022

दिनांक 19 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकुमार शर्मा पुत्र श्री डालचन्द शर्मा, ग्राम-खालौर, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। वादिनी के पति के दोस्त बन्दी राजकुमार ने दिनांक 29.11.2004 को वादिनी की पुत्री 07 वर्षीय बालिका को रासलीला दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-302/2005 धारा-376(2)(एफ) आई0पी0सी0 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 06.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2022 तक 17 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति के बैठक दिनांक 20.01.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रवृत्ति का होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों में विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिनी के पति के दोस्त बन्दी राजकुमार ने दिनांक 29.11.2004 को वादिनी की पुत्री 07 वर्षीय बालिका को रासलीला दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रवृति का होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजकुमार शर्मा पुत्र श्री डालचन्द शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।